

नस्ति संख्या 4-16/1999-हि.प्र.वि. (शै.)खण्ड-3

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् 'ए' ग्रेड विश्वविद्यालय)

शैक्षणिक शास्त्रा, समरहिल शिमला-171005

दिनांक: 17 JAN 2017

### अधिसूचना

कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 30.12.2016 को हुई बैठक में मद संख्या-6 के अनुसार लिया गया निर्णय निन्दा प्रकार से है:-

“कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में विश्वविद्यालय एवं इससे संबद्ध महाविद्यालयों में जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में नियमित सीटों के अलावा दो अतिरिक्त सीटें आरक्षित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि इन आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिए प्रवेश-परीक्षा में उतीर्ण होना अनिवार्य होगा।”

कुलसचिव

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,  
शिमला-171005.

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि

दिनांक: 17 JAN 2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला-5 से सम्बद्धता प्राप्त सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना को अपने सूचना पट्ट पर सभी छात्रों की सुविधा के लिए लगाया जाए।
2. प्रधान सचिव, शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
3. निदेशक उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-1.
4. परीक्षा नियन्त्रक, हि.प्र.वि. शिमला-5.
5. अधिष्ठाता अध्ययन, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5.
6. क्षेत्रीय निदेशक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, धर्मशाला/निदेशक आई.सी.डी.ई.ओ.एल. शिमला-5.
7. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा/मूल्यांकन /पूर्वमूल्यांकन/संचालन/आर.एम.ई./डिप्पी सैल/सामान्य प्रशासन/इन्टरनल ऑफिस/ए.आर.ओ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5.
8. पी.आर.ओ. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अनुरोध है कि उपरोक्त अधिसूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए व आकाशवाणी शिमला से भी प्रसारित किया जाए।
9. सचिव कुलपति/वरिष्ठ निजी सचिव कुलपति/कुलसचिव, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5.
10. अधीक्षक बैठक, शैक्षणिक शास्त्रा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5.
11. प्रभारी पूछताछ, अनुभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5.
12. रक्षक नस्ति।

कुलसचिव